तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रघुनाथ सिंह **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी लूणी)** सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353330309124847	
11/09/25	अपीलार्थी रघुनाथ सिंह निवासी भाटी स्कूल के सामने, शिकारपुरा रोड सालावास, लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 22.08.2025 को दिनांक 02.01.2025 को भारतीय डाक सेवा (Registered Letter) द्वारा एक पत्र जिसका Consignment Number RR880506550IN दिनांक 07.01.2025 को प्राप्त हुआ है जिसका विवरण सालावास रेल्वे स्टेशन की तरफ (खसरा न. 325/9 ग्राम रेल्वे स्टेशन सालावास, पटवारी हल्का सालावास, भू.आ.नि. क्षेत्र काकाणी) कृषि भूमि पर अवैध निर्माण की कार्यवाही करने हेतु सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उस पत्र के सन्दर्भ में कार्यवाही की गई सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर	

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.[illegible] 6:46:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17714397